न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1383

1. मनसाराम स्वामी चेला महादेवदास स्वामी दादूपंथी निवासी बाबाजी की छावनी दौसा तहसील व जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमानदास चेला महादेवदास दादूपंथी निवासी बाबाजी की छावनी दौसा तहसील व जिला दौसा।
2. हरदयालदास दत्तक पुत्र रामदयालदास दादूपंथी निवासी बाबाजी की छावनी दौसा तहसील व जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा, तहसील व जिला दौसा।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 20.06.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी हनुमानदास बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 26/2023 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज गुर्जर, वकील अपीलान्ट।
2. श्री कृष्ण कुमार पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 09.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.06.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 20.05.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 660 पुराना खाता संख्या 737 के आराजी खसरा नम्बर 2521 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 2522 रकबा 2.49 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम दौसा कलां, पटवार हल्का दौसा कलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौसा, तहसील व जिला दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2022 को पटवारी हल्का दौसा कलां द्वारा मौके पर जाकर किया गया तथा पर्चा मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये कि प्रार्थीगण की ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2521 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2522 रकबा 2.49 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.50 है0 का अनुभवी पटवारियों/ भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने एवं प्रार्थीगण से नियमानुसार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय शुल्क वसूल किये जाने तथा पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढ़ी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 20.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट मनसाराम स्वामी चेला महादेवदास स्वामी ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 20.06.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय नियम, प्रक्रिया के विपरीत होने की गरज से काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा खसरा नम्बर 2521, 2522 रकबा 2.50 है० यानि 10 बीघा भूमि का पर्चा खतौनी शीट आदि का अंकन अलग से कर लिया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 महज 9 बीघा 8 बिस्वा यानि 2.35 है0 भूमि के ही हकदार थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा 0.21 है० भूमि बसाज सेटिलमेन्ट कर्मी छिपाकर गलत अंकित करा ली। अपीलांट द्वारा उक्त अशुद्ध अंकित करायी गयी भूमि की बाबत वादपत्र अधिघोषणा आराजीयात मय स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय दौसा के समक्ष उनवानी मनसाराम बनाम हनुमानदास पेश किया जा चुका है जिसमे आगामी पेशी दिनांक 09.06.2025 नियत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त अशुद्ध अंकित आराजी की आड में अपीलांट के हक हिस्से की भूमि को हडपने की गरज से अपीलांट आदेश प्राप्त कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अपने जवाब रिपोर्ट मे पडौसी खातेदारों को सुना जाकर ही आदेश पारित किया जाना अंकित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पडौसी खातेदार अपीलांट व अन्य पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया जाकर एकतरफा मे बेजा आदेश पारित करवा दिया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार (रेस्पोडेन्ट संख्या 3) को आदेश फरमाया गया कि उक्त भूमि के सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना दी जावे परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से साज कर पडौसी खातेदारों को निश्चित सूचना दिये ही मनमानीपूर्ण कार्यवाही किये जाने पर आमादा है। न्यायहित में व्यथित पक्षकार द्वारा अपील पेश है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना प्रार्थी को धारा 128 लै0रे0एक्ट के प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये बगैर एकतरफा में निर्णय पारित करवाया है जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नही हो सकी निर्णय जैर अपील की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 12.05.2025 को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा एलानिया कहने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में तलाश किया व नकल हेतु आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 12.05.2025 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उक्त आदेश की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही है यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.06.2024 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.06.2024 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 660 पुराना खाता संख्या 737 के आराजी खसरा नम्बर 2521 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 2522 रकबा 2.49 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम दौसा कलां, पटवार हल्का दौसा कलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौसा, तहसील व जिला दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2022 को पटवारी हल्का दौसा कलां द्वारा मौके पर जाकर किया गया तथा पर्चा मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2024 पारित किये गये। उक्त पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 16.05.2025 को मौके पर खसरा नंबर 2521 व 2522 किता 2 रकबा 2.50 हैक्टेयर की पत्थरगढी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2024 के विरूद्व की गयी अपील आधारहीन हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 12.05.2025 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2024 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये कि प्रार्थीगण की ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2521 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2522 रकबा 2.49 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.50 है0 का अनुभवी पटवारियों/ भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने एवं प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किये जाने तथा पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देने, उक्त आदेश केवल पत्थरगढ़ी करने का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जाने तथा पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2024 की पालना में तहसीलदार दौसा द्वारा गठित राजस्व कार्मिकों की टीम के सदस्यों एवं पुलिस जाब्ता द्वारा दिनांक 16.05.2025 को राजस्व ग्राम दौसा कलां के आराजी भूमि खसरा नम्बर 2521 व 2522 किता 2 रकबा 2.50 हैक्टेयर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने हेतु हल्का पटवारी व टीम के सदस्य मौके पर पहुॅचकर उपस्थित हुए, मौके पर मुश्तकिल बिन्दु खसरा नम्बर 2521 गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर ग्राम रामजीपुरा व दौसा कलां की सीमा पर स्थित कांकड़ की जांच किये जाने पर उक्त कांकड़ को ग्राम दौसा कलां के गै0मु0 चाह ख0नं0 2512 से भी जांच की गयी जो सही पाया गया। उक्त कांकड़ से मुताबिक नक्शा शीट के अनुसार खसरा नम्बर 2522 की सीमा पर चारों तरफ पत्थरगढी करवायी गयी मौके पर पत्थरगढी की ही कार्यवाही की गयी है तथा मौके पर खातेदार को किसी भी प्रकार का कब्जा सुपुर्दगी नही किया गया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2024 पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 16.05.2025 को मौके पर खसरा नंबर 2521 व 2522 किता 2 रकबा 2.50 हैक्टेयर की पत्थरगढी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2024 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर